

सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड आदि

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत-द्वितीय

(सिविल अपील संख्या 3555-3560/2012)

जून 03, 2016

[दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह, जे.जे.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: एस. 3 (1) और इसका प्रावधान - धारा 3 (1) के तहत या 3 (1) के प्रावधान के तहत प्रभार्यता - निर्धारिती, 100% निर्यात उन्मुख इकाई - विकास आयुक्त की अनुमति के बिना माल की निकासी - माना जाता है: शुल्क, uls देय है अधिनियम का .3(1) - यदि माल को भारत में बेचने की अनुमति नहीं है, तो धारा 3(1) का प्रावधान लागू नहीं होगा।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भारत में बेचने की अनुमति" केवल 100% ईओयू द्वारा उत्पादन के डीटीए में की गई बिक्री पर लागू होगी, जिन्हें एक्जिम नीति के प्रावधानों के अनुसार भारत में बेचने की अनुमति है। (पैरा 35] (221-जी-एच)

एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई और सीमा शुल्क 2000 (2) एससीआर 231: (2000) 3 एससीसी 367; सीसीई बनाम एनसीसी ब्लू वॉटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 2010 (11) एससीआर 741: 2010 (258) ईएलटी 161 - पर भरोसा किया गया।

जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर 1996 (86) ईएलटी 472 (एससी); श्रीचक्र टायर्स लिमिटेड बनाम सीसीई मद्रास 1999 (108) ईएलटी 61 (टी); स्टरलाइट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम सीसी एंड सीई औरंगाबाद 2005 (188) ईएलटी 201 (टी); सीसीई दिल्ली बनाम एमआईएस। मारुति उद्योग लिमिटेड 2002 (141) ईएलटी 3 (एससी); हिमालय। इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम सी.ई.एक्स के आयुक्त। चंडीगढ़ (2003) 154 ईएलटी, 580 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1996 (86) ईएलटी 472 (एससी)	संदर्भित	पैरा 6
2000 (2) एससीआर 231	निर्भर	पैरा 8
1999 (108) ईएलटी 61 (टी)	संदर्भित	पैरा 8
2005 (188) ईएलटी 201 (टी)	संदर्भित	पैरा 9
2002 (141) ईएलटी 3 एससी	संदर्भित	पैरा 12
2010 (11) एससीआर 741	निर्भर	पैरा 14
(2003) 154 ईएलटी 580	संदर्भित	पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3555-3560/2012

निर्णय एवं आदेश संख्या एम/2113/डब्ल्यूजेडबी/एएचडी/2010, एम/2114/डब्ल्यूजेडबी/ एएचडी/2010, एम/2115/डब्ल्यूजेडबी/ एएचडी/2010, एम/2116/डब्ल्यूजेडबी/ एएचडी/2010, एम/2117 से /WZB/AHD/2010, M/2119 /WZB/AHD/2010, अपील संख्या E/2806/02, E/2807/02, E/2808/02, E/2809/02, E/2810 और में पारित ई/2812/02 दिनांक 16.12.20 आई 0 सीमा

शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण, पश्चिम जोनल बेंच, अहमदाबाद।

एस.के. बागरिया, वरिष्ठ वकील, रोहन पी. शाह, रोहित जैन, आलोक यादव, ध्रुव भट्टाचार्य, उदितजैन, प्रवीण कुमार, के. अजीत सिंह, वी. लक्ष्मी कुमारन, जय सावला, एस. वासुदेवन, सुश्री रेणुका साहू, अपीलकर्ता के लिए वकील।

के. राधाकृष्णन, ए.के. पांडा, वरिष्ठ वकील, सुश्री निशा बागची, अरिजीत प्रसाद, सुश्री पूजा शर्मा, बी. कृष्णा प्रसाद, प्रवीण कुमार, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का फैसला **न्यायाधीश दीपक मिश्रा** द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं, अर्थात् सिंथेटिक रतालू और के निर्माण में लगी हुई है, उस उद्देश्य के लिए इसकी यूनिट-1, सर्वे नंबर 59/1/14, अमी, पिपरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, सिलवासा (यूटी ऑफ डी.एन. एंड एच) में एक फैक्ट्री है। उक्त फैक्ट्री 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (EOU) है। 61 नवंबर, 2006 से पहले, सरला परफॉर्मेस फाइबर्स लिमिटेड को सरला पॉलिस्टर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। श्री मधुसूदन झुनझुनवाला और श्री सतीश कुमार शर्मा क्रमशः सरला परफॉर्मेस फाइबर्स लिमिटेड के चैमलान और उत्पाद शुल्क प्रभारी थे। श्री दिनेशचंद्र पांडे मेसर्स हिंदुस्तान कॉटन कंपनी, एक पैटनरशिप फर्म, के डिस्पैच प्रभारी थे, जो 1988 से पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड/ट्विस्टेड डाइड यार्न के व्यापार में लगी हुई थी। श्री गोपाल भगवान दत्त शर्मा प्रासंगिक समय में सरला परफॉर्मेस फाइबर्स लिमिटेड के प्रबंधक थे। यहां अपीलकर्ताओं के संदर्भ का अर्थ होगा और इसमें सभी अपीलकर्ता शामिल होंगे।

2. अपीलकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के रतालू, अर्थात् पॉलिएस्टर टेक्सचराइज्ड यार्न, नायलॉन कवर यार्न और पॉलिएस्टर कवर यार्न के निर्माण के लिए शुल्क के

भुगतान के बिना अध्याय 54 के तहत आने वाले आंशिक उन्मुख यार्न (पीओवाई) की खरीद की थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सूरत - II के आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस क्रमांक V(Ch.54)15-6/0A/2000 दिनांक 6 मई, 2001 को जारी किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी कि अपीलकर्ताओं द्वारा शुल्क के भुगतान के बिना कथित तौर पर हटाए गए टेक्सचराइज्ड यार्न पर 32,92,854/- रुपये का केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। उक्त कारण बताओ नोटिस में अपीलकर्ताओं को यह बताने की भी आवश्यकता थी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में, 'टीएल 1ई अधिनियम') की धारा 1 जेएसी के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, कारण बताओ नोटिस में 1,72,186 रुपये मूल्य के नायलॉन से ढके धागे को जब्त करने और उस पर 55,202.96 रुपये का शुल्क वसूलने की भी मांग की गई है।

3. कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 3(1) के तहत देय शुल्क के मुकाबले कुल मिलाकर 14,89,349.00 रुपये का भुगतान किया (सह-शुल्क लाभ को ध्यान में रखते हुए) और अधिसूचना संख्या 2105 का लाभ दिए जाने की स्थिति में देय 11,19,775.00 रुपये का भुगतान किया।

4. कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल होने के बाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत-द्वितीय ने अपने मूल आदेश संख्या II/MP/2002 दिनांक 21 मार्च, 2002 द्वारा (i) 245.980 किलोग्राम वजन वाले जब्त किए गए नायलॉन कवर यार्न को जब्त कर लिया, जिसका मूल्य 1,72,186/- रुपये था और रु.86,093/- की राशि विनियोजित की जो बैंक गारंटी के रूप में दी गई थी; (ii) अधिनिर्णय से पहले अनंतिम रूप से जारी किए गए शुद्ध माल पर अंतर शुल्क के रूप में 55,202.96 रुपये की मांग की गई; और (iii) 32,92,854/- रुपये की केंद्रीय उत्पाद शुल्क की पुष्टि की और धारा 11 एबी के तहत ब्याज की वसूली का आदेश दिया और अपीलकर्ताओं पर

33,48,060/- रुपये का जुर्माना लगाया। निर्णायक प्राधिकारी ने विवादित आदेश में निर्धारित विभिन्न व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया।

5. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 35 बी के तहत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के समक्ष उस हद तक अपील की, जहां तक उक्त आदेश उसके प्रतिकूल था। राजस्व ने भी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी क्योंकि कुछ पहलू इसके प्रतिकूल थे। ट्रिब्यूनल ने इस मुद्दे को ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच को इस बात पर विचार करने के लिए भेजा कि क्या अपीलकर्ता द्वारा मंजूरी दे दी गई वस्तुएं अधिसूचना संख्या 125/84 दिनांक 26.05.1984 के तहत छूट के लिए पात्र थीं। वृहद पीठ ने दिनांक 03.08.2007 के आदेश के तहत कहा कि यदि माल 100% ईओयू द्वारा मंजूरी दे दी गई है और भारत में बेची गई है, चाहे अनुमति के साथ या बिना अनुमति के, मूल्यांकन अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा और अधिसूचना संख्या 125/84 के तहत छूट लागू नहीं होगी। मामला ट्रिब्यूनल की डिवीजन बेंच के समक्ष रखे जाने के बाद उसके आदेश दिनांक 15.11.2007 ने बड़ी बेंच के फैसले का हवाला दिया और पूर्ण बेंच के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि माल 100% ईओयू द्वारा मंजूरी दे दी गई और भारत में बेची गई, चाहे विकास आयुक्त की अनुमति के साथ या उसके बिना, मूल्यांकन अधिनियम की धारा 3 (एल) के प्रावधान के तहत किया जाएगा और अधिसूचना संख्या 125/84 के तहत छूट लागू नहीं होगी, लेकिन जुर्माना लगाने के संबंध में कुछ राहत दी जाएगी। परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल ने दिनांक 15.11.2007 के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं की अपील का निपटारा कर दिया और राजस्व की अपील को खारिज कर दिया।

6. जैसे ही तथ्य सामने आएंगे, अपीलकर्ताओं ने जे.के.सिंटलेटिक्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज 1 के कलेक्टर के मामले में 15.11.2007 के आदेश को वापस

लेने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपील का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया गया था और ट्रिब्यूनल द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था और इस तरह यह नहीं कहा जा सकता है कि बेंच ने मामले के गुण-दोष पर विचार करने में चूक की।

7. उपरोक्त आदेशों को 2008 की रिट याचिका संख्या 4758 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पार्टियों के विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए निम्नानुसार निर्देश दिया था: -

"3. याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ अपीलें दायर की गईं और विभाग द्वारा भी कुछ अपीलें दायर की गईं। प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देसाई को कोई आपत्ति नहीं है यदि विभाग द्वारा दायर अपीलों सहित सभी अपीलों को एक साथ सुना जाए क्योंकि अपीलों में याचिकाकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई थी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, उपरोक्त अपीलों में CESTAT द्वारा पारित दोनों आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2008 और 5 नवंबर, 2007 को रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है, और उपरोक्त सभी अपीलों फाइल करने के लिए बहाल की गई हैं। CESTAT को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी तरह से अपने पहले के आदेशों से प्रभावित हुए बिना ऊपर उल्लिखित सभी अपीलों को नए सिरे से सुने।"

8. छूट के बाद, ट्रिब्यूनल के समक्ष यह तर्क दिया गया कि गुप्त निष्कासन का आरोप एक कंप्यूटर शीट पर आधारित था और कोई अन्य रिकॉर्ड बरामद नहीं किया गया था; विभाग द्वारा गुप्त निष्कासन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान कॉटन कंपनी द्वारा जारी किए गए चालान पर निर्भरता थी; और यह कि अपीलकर्ता एसपीएल 100% ईओयू है और जब विभाग के अनुसार विकास आयुक्त की अनुमति के बिना माल को मंजूरी दे दी गई थी, तो अधिनियम की धारा 3 (एल) के तहत शुल्क देय था और अधिसूचना संख्या 125/84 सीई के तहत छूट उपलब्ध थी। स्टैंड को बनाए रखने के लिए, SIV इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम CCE और सीमा शुल्क पर निर्भरता रखी गई थी। यह कहा गया है कि श्रीकलवक्रा टायर्स लिमिटेड बनाम सीसीई मद्रास में ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया था; और उस आधार पर यह तर्क दिया गया कि निर्धारिती द्वारा उपयोग की गई राशि को शुल्क मूल्य के रूप में माना जाना था और व्यक्तियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया गया था कि वे लेनदेन के बारे में जानते थे।

9. निर्धारिती के रुख का राजस्व ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए विरोध किया कि छूट अधिसूचना का लाभ नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि अधिसूचना में कई शर्तों को पूरा करना शामिल था और जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती; सह-शुल्क मूल्य का लाभ नहीं बढ़ाया जा सकता है और कारण बताओ नोटिस में गलत धारा या नियम का आह्वान सही नियम या धारा के तहत जुर्माना लगाने में बाधा नहीं होगा, और अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मंजूरी के उपचार के लिए पात्र नहीं था। राजस्व की ओर से स्टर्लाइट ऑप्टिक/टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम सीसी एंड सीई औरंगाबाद पर निर्भरता रखी गई थी।

10. इस समय, यह बताना प्रासंगिक है कि सदस्य, तकनीकी का मानना है कि डीटीए को सभी बिक्री एक्जिम नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में गुप्त रूप से की गई थी और अपीलकर्ता कंपनी ने यह तर्क नहीं दिया कि ली गई कीमत में उत्पाद शुल्क का घटक शामिल है। इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं ने अधिसूचना संख्या 125/84 के तहत छूट का दावा किया और इसलिए, एसपीएल द्वारा डीटीए में ग्राहकों से कोई सह-शुल्क मूल्य वसूलने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि लेनदेन एसपीएल द्वारा हिंदुस्तान कॉटन कंपनी और एम.एम.सांघवी के नाम पर किया गया था और उठाए गए चालानों पर मांगें उठाई गई थीं। लेन-देन स्वयं कृत्रिम था और इसे सह-शुल्क मूल्य के रूप में मानने का कोई औचित्य नहीं दिखाया गया था और इसलिए, मूल्य को सह-शुल्क मूल्य के रूप में न मानने का आयुक्त का निर्णय बरकरार रखा जाना चाहिए। जहां तक कंपनी पर जुर्माने का सवाल है, विद्वान सदस्य ने माना कि इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 1730 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 11एसी के तहत सही ढंग से लगाया गया था। जहां तक व्यक्तियों का संबंध है, विद्वान सदस्य की राय थी कि कुछ लोगों पर थोपना उचित था और कुछ व्यक्तियों पर थोपना उचित नहीं था। हालाँकि, उन्होंने विभाग द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया।

11. सदस्य, न्यायिक ने गुप्त रूप से हटाने और शुल्क की मांग की पुष्टि और विभिन्न अपीलकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के संबंध में सदस्य, तकनीकी के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, लेकिन, हालाँकि, जहाँ तक वर्तमान अपीलकर्ता का सवाल है, विद्वान सदस्य ने राय दी कि मेसर्स सरला पॉलिएस्टर लिमिटेड द्वारा की गई संपूर्ण वसूली को सह-शुल्क के रूप में माना जाना आवश्यक था और इस प्रकार, उपरोक्त आधार पर अपीलकर्ता को लाभ दिया जाना था। उन्होंने आगे कहा कि:-

"माना जाता है कि उनके द्वारा अपने खरीददारों से कोई शुल्क नहीं वसूला गया है। जब बाद में उनसे उसी वसूली पर शुल्क की मांग की जा रही है, मेरे विचार में, इसे सह-शुल्क के रूप में माना जाना आवश्यक है और मूल्यांकन योग्य मूल्य उस शुल्क की कटौती के द्वारा निकाला जाना चाहिए जो अब निर्धारिती के खिलाफ पुष्टि की जा रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए सभी निर्णयों में यह कानून की घोषणा रही है। तथ्य यह है कि शुल्क की मांग गुप्त निष्कासन पर या किसी अन्य मुद्दे पर की जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।"

12. विद्वान सदस्य ने सीसीई दिल्ली बनाम मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड 5 पर भरोसा जताया, उसी से एक अंश दोहराया और कहा कि संपूर्ण वसूली को सह-शुल्क मूल्य के रूप में माना जाना आवश्यक था और इसका लाभ निर्धारिती तक बढ़ाया जाना था और उक्त उद्देश्य के लिए, मामले को शुल्क की मात्रा की पुनर्गणना के लिए भेजने की आवश्यकता थी। जहां तक जुर्माने का सवाल है, उन्होंने सदस्य, तकनीकी से सहमति जताई, लेकिन यह भी राय दी कि मात्रा के निर्धारण पर गणना किए गए शुल्क के बराबर जुर्माना लगाने के लिए इसे भेजने की आवश्यकता है।

13. दोनों सदस्यों ने तीन बिंदुओं को मतभेद के रूप में नोट किया। पूर्णता के लिए, हम इसे पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:-

"ए. क्या गुप्त रूप से हटाए गए माल के पूरे बिक्री मूल्य को सह-शुल्क के रूप में माना जाना आवश्यक है और इसका लाभ मैसर्स सरला पॉलिएस्टर लिमिटेड (यहां अपीलकर्ता संख्या 1) को दिया जाना है या नहीं?"

बी. 2002(141) ईएलटी 3 में रिपोर्ट किए गए सीसीई दिल्ली बनाम मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा घोषित कानून का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है या नहीं और क्या इसका लाभ उक्त निर्धारिती को दिया जाना है या नहीं?

सी. क्या मामले को सदस्य (न्यायिक) द्वारा रखी गई संपूर्ण वसूली को सह-शुल्क मूल्य के रूप में मानकर शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए भेजा जाना आवश्यक है या जैसा कि विद्वान सदस्य (तकनीकी) ने देखा, उपरोक्त मुद्दे पर अपीलकर्ता की याचिका को मूल्य को सह-शुल्क मूल्य के रूप में न मानने के आयुक्त के निर्णय को बरकरार रखते हुए खारिज करने की आवश्यकता है?

डी. उपरोक्त आधार पर शुल्क की पुनः मात्रा निर्धारित करने के परिणामस्वरूप, मेसर्स सरला पॉलिएस्टर लिमिटेड पर लगाया गया जुर्माना उक्त अपीलकर्ता के खिलाफ पुनः पुष्टि की गई शुल्क की मात्रा तक कम हो जाएगा?"

14. यहां यह बताना आवश्यक है कि 13.10.2010 को आदेश की घोषणा से पहले, वर्तमान निर्धारिती की ओर से वकील ने उल्लेख किया था कि सीसीई बनाम एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में दिए गए निर्णय के मद्देनजर यह विवाद अब खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद मामले की सुनवाई दूसरे दिन हुई और बेंच की ओर से विद्वान सदस्य तकनीकी ने आदेश पारित किया। उन्होंने राजस्व के रुख पर ध्यान दिया कि उक्त निर्णय लागू नहीं था क्योंकि यह पहले के निर्णय यानी एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांत पर आधारित था। विद्वान सदस्य ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि ट्रिब्यूनल की बड़ी पीठ ने एसआईवी इंडस्ट्रीज

लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय को अलग कर दिया था, जिस पर एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) पर भरोसा किया गया था। इस समय, हम बेंच की ओर से सदस्य, तकनीकी द्वारा पारित आदेश से एक अंश को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं: -

"यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा कि विद्वान एसडीआर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएन इंडस्ट्रीज के मामले में निर्णय का पालन किया और 2002 में जारी बोर्ड के परिपत्र पर भी ध्यान दिया और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 2004 में जारी परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट में विद्वान एसडीआर के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसके अलावा, हम यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले के निर्णय के अनुसार, बड़ी पीठ ने एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विचार किया था और इसे अलग किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि डीटीए में 100% ईओयू द्वारा बेचे गए माल के मामले में, मूल्यांकन अधिनियम की धारा 3(आई) के प्रावधान के तहत किया जाएगा।"

15. इतना कहने के बाद, विद्वान सदस्य ने बड़ी बेंच से प्रचुर मात्रा में उद्धरण दिया। हम प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:-

"14. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हमने पाया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3(1) और अधिसूचना 125/84 के प्रावधान की शब्दावली, जिसकी हमें व्याख्या करने के लिए कहा गया है, समान हैं और मूल विवाद यह है कि "भारत में बेचने की अनुमति" शब्दों की व्याख्या कैसे की जाए। दोनों पक्षों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों को देखने के बाद, हमने पाया कि 100% ईओयू को उनके

उत्पादन का 100% निर्यात करने की एकमात्र खरीद के साथ स्थापित करने की अनुमति दी गई थी जैसा कि 100% EOUs शब्दों से स्पष्ट है। हालाँकि, निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में आने वाली कुछ कठिनाइयों के कारण, वर्ष 1984 से 25% तक डीटीए में बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन 100% ईओयू द्वारा ऐसी बिक्री और 100% ईओयू के अलावा अन्य घरेलू इकाइयों द्वारा बिक्री के बीच अंतर करने का स्पष्ट इरादा था और इस उद्देश्य के लिए धारा 3 (आई) और अधिसूचना 125/84 का प्रावधान पेश किया गया था। चूंकि निकासी के केवल दो तरीके थे जिनमें 100% ईओयू माल को मंजूरी दे सकते थे यानी एक निर्यात द्वारा और दूसरा विकास आयुक्त की अनुमति प्राप्त करने के बाद घरेलू बिक्री द्वारा, घरेलू बिक्री के संबंध में "भारत में बिक्री की अनुमति" शब्द दोनों प्रावधानों में शामिल किए गए थे।"

16. इसके बाद, विद्वान सदस्य ने कुछ पहलुओं को बताया जो आवश्यक नहीं हैं और फिर निम्नलिखित अंश को पुनः प्रस्तुत किया: -

"हम बड़ी पीठ की इस टिप्पणी से भी सहमत हैं कि एसआईवी इंडस्ट्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें बताए गए कारणों से अलग है, क्योंकि उस मामले में मुख्य जोर इस पर था कि क्या हटाने की तिथि पर 100% ईओयू 100% ईओयू नहीं रह गया था और इसलिए 100% ईओयू से संबंधित प्रावधान उन पर लागू नहीं किए जा सकते थे। इसी उद्देश्य से हमारा मानना है कि अधिसूचना 125/84 के तहत छूट 100% ईओयू द्वारा निर्मित लेकिन भारत में बेची गई वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होगी।"

17. बड़ी पीठ के कई अंशों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान सदस्य ने इस प्रकार कहा: -

"7. यह देखा जा सकता है कि बड़ी बेंच ने एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार किया था, और हिमालय इंटरनेशनल के मामले में बड़ी बेंच के एक अन्य फैसले से सहमत हुई है, जिसमें एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विचार किया गया और प्रतिष्ठित किया गया।

8. संक्षेप में, ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच के दो निर्णयों ने इस मुद्दे पर विचार किया है और एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में निर्णय को अलग किया है। अपीलकर्ता के मामले में दिए गए एक संदर्भ पर वर्तमान मामले में बड़ी पीठ के निर्णय ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी पहलुओं और 100% ईओयू के इतिहास, वैधानिक प्रावधानों और पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार किया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) के प्रावधान के तहत शुल्क प्रभार्य है।"

18. इस विचार के चलते, बेंच ने मतभेद और उसके तहत तैयार किए गए प्रश्नों को दोहराया। ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद, अपीलकर्ता ने W.P.No.714/2011 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों पर गौर किया और राय दी कि आत्म-संयम की अवधारणा और न्यायिक औचित्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती के लिए इस न्यायालय के समक्ष अपील करना वांछनीय था। इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपीलें अधिनियम की धारा 3 5 एल (बी) के तहत पसंद की गई हैं।

19. यह विवाद में नहीं है कि निर्धारिती-अपीलकर्ता की इकाई 100% ईओयू है और ईओयू योजना के तहत इसके द्वारा निर्मित माल का निर्यात करना आवश्यक था। निर्धारिती का रुख यह है कि वह हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर (एचबीपी) के साथ पढ़े गए निर्यात आयात (ईएक्सआईएम) नीति के दसियों में विकास आयुक्त से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद एक निश्चित निर्दिष्ट सीमा तक माल को मंजूरी देने के लिए पात्र था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री वी. लक्ष्मी कुमारन का कथन है कि भले ही यह माना जाता है कि तैयार माल को विकास आयुक्त से अपेक्षित अनुमति के बिना निर्धारिती द्वारा हटा दिया गया था, अधिनियम की धारा 3 (1) के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। उनका तर्क है कि ट्रिब्यूनल ने हिमालय इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम सी.एक्स.चंडीगढ़ के कमिश्नर मामले में ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच के फैसले का गलती से पालन किया है। विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि यदि निर्धारिती की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो वह रिफंड का हकदार होगा क्योंकि उसने अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निर्धारित शुल्क दायित्व से अधिक राशि का भुगतान किया है।

20. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन का तर्क है कि अपीलकर्ता, जो एक सतत ईओयू है, तैयार माल का निर्यात करने के लिए बाध्य था और चूंकि दायित्व पूरा नहीं हुआ है और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना माल को मंजूरी दे दी गई है, अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनका आगे का तर्क है कि निर्धारिती का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 3 (I) के तहत नहीं किया जा सकता है, बल्कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए प्रावधान के तहत किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील इसे प्रस्तुत करेंगे कि एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) और एनसीसी ब्लू वॉटर पनुल्कट्स लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय जब उचित रूप से लागू होता है, तो 100% ईओयू जिसे

बिना अनुमति के ओटीए में मंजूरी दे दी गई थी, उसे अधिनियम की धारा 3 (आई) के तहत शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21. विवाद को समझने के लिए, संबंधित प्रावधानों, क्षेत्र में परिपत्रों और प्रासंगिक प्रावधानों पर इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्याओं की जांच करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 3 का विवादास्पद भाग, 11.05.200 से संशोधन से पहले मैंने इस प्रकार पढ़ा: -

"धारा 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क लगाया जाना है - (I) ऐसे तरीके से लगाया और एकत्र किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है, -

(ए) भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार उत्पाद शुल्क;

(बी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (ए 1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उपरोक्त खंड (ए) में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के अलावा एक विशेष उत्पाद शुल्क, जो भारत में उक्त दूसरी अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार उत्पादित या विनिर्मित किए जाते हैं

बशर्ते कि उत्पाद शुल्क जो उत्पादित या निर्मित किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाया और एकत्र किया जाएगा, -

(i) वृक्ष व्यापार क्षेत्र में और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया गया; या

(ii) सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम द्वारा और भारत में बेचने की अनुमति, सीमा शुल्क के कुल के बराबर राशि होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962

का 52) की धारा 12 के तहत लागू होगी। भारत के बाहर उत्पादित या विनिर्मित समान वस्तुओं पर यदि भारत में आयात किया जाता है, और जहां सीमा शुल्क के उक्त शुल्क उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हैं; ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य सामान का मूल्य, इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

22. संशोधन के बाद प्रावधान का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"धारा 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क लगाया जाना है - (1) ऐसे तरीके से लगाया और एकत्र किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है, -

(ए) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) कहा जाएगा, जो भारत में उत्पादित या निर्मित होते हैं, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में निर्धारित दरों पर;

(बी) उपरोक्त खंड (ए) में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क का एक विशेष शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की सेरॉन्ड अनुसूची में निर्दिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को छोड़कर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर, जो भारत में उक्त दूसरी अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार उत्पादित या विनिर्मित किए जाते हैं

बशर्ते कि उत्पाद शुल्क जो उत्पादित या निर्मित किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाया और एकत्र किया जाएगा, -

(i) किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया गया; या

(ii) शत-प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम द्वारा और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया गया,

सीमा शुल्क के कुल शुल्क के बराबर राशि होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत लगाया जाएगा या भारत के बाहर उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर, यदि भारत में आयात किया जाता है, और जहां सीमा शुल्क के उक्त शुल्क उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हैं, उस समय लागू कोई अन्य कानून; ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य सामान का मूल्य, इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

23. प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में जो रखा गया है उसकी सराहना करना उचित है। उक्त मामले में, ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी, जिसके तहत उसने निर्देश दिया था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3(1) के तहत देय नहीं था, बल्कि अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान के तहत देय था। . उसमें अपीलकर्ता को तमिलनाडु राज्य में कोयंबटूर जिले के सिरुमुगल में अपने कारखाने में यिस्कोस स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिए 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एसआईए) द्वारा इस उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता को दिनांक 18.12.1991 का जेटटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था। 08.09.1993 को अपीलकर्ता ने सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को एक आवेदन दिया और अपनी इकाई को 100%

EOU से डिबॉन्ड करने, यानी 100% EOU योजना से बाहर निकलने की मांग की। वाणिज्य मंत्रालय के पत्र दिनांक 18.1.1993 द्वारा सैद्धांतिक रूप से अपीलकर्ता को उन शर्तों के अधीन 100% ईओयू योजना से हटने की अनुमति देने पर सहमति हुई थी, जिन पर निकासी की अनुमति दी गई थी। एक बार यूनिट की डिबॉन्डिंग की अनुमति मिल जाने के बाद, 100% ईओयू में पहले निर्मित तैयार माल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आरोप पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) के लिए मंजूरी दी जा सकती थी। विवाद इस बात पर उठा कि शुल्क की दर क्या लगाई जाए। निर्धारिती का तर्क यह था कि अधिनियम की मुख्य धारा 3(1) के तहत तैयार माल पर उत्पाद शुल्क देय है, साथ ही स्टॉक में पड़े उक्त तैयार माल के निर्माण में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क भी देय है। दूसरी ओर, राजस्व ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क तैयार माल पर देय था और तैयार माल के निर्माण में लगे कच्चे माल पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया गया था। न्यायालय ने इस मुद्दे को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "भारत में बेचने की अनुमति" पार्टियों के बीच विवाद की जड़ थी। निर्धारिती ने तर्क दिया कि धारा 3(1) के प्रावधानों को लागू करने के लिए दो शर्तों को संचयी रूप से और एक साथ पूरा करना होगा, अर्थात्, (1) माल मौजूदा 100% ईओयू द्वारा उत्पादित या निर्मित किया जाना चाहिए, और (2) इन सामानों को भारत में बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। विभिन्न पहलुओं और दिनांक 17.02.1983 के परिपत्रों का विश्लेषण करने के बाद, जिसमें प्रावधान की शुरुआत को स्पष्ट किया गया और दिनांक 29.05.1984 के परिपत्र में अधिनियम की धारा 3(आई) के प्रावधान में और संशोधन की व्याख्या की गई, न्यायालय ने कहा: -

"राजस्व का तर्क यह है कि योजना से हटने की अनुमति अपने आप में भारत में बेचने की अनुमति है, यानी, जब इकाई को डिबॉन्ड करने की अनुमति दी जाती है, तो उसे भारत में सामान बेचने की अनुमति दी

गई मानी जाएगी, लेकिन फिर भारत में बेचने की अनुमति निर्यात-आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। 100% ईओयू द्वारा भारत में बेचने की अनुमति में वे सभी कारक शामिल हैं जैसे मूल्यवर्धन, निर्यात दायित्व की पूर्ति, सामान्य मुद्रा लाइसेंस-धारक की बिक्री, आइटम का नकारात्मक सूची में उल्लेख नहीं किया जाना और फिर 25% की सीमा होना, आदि। जब डीबॉन्ड की अनुमति दी जाती है, तो इनमें से कोई भी मानदंड या पहलू तैयार माल के समापन स्टॉक पर अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा लागू नहीं किया जाता है। अनुमोदन बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण है, जो डिबॉन्डिंग की अनुमति देता है। यह औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत बनाया गया है। दूसरी ओर आयात नीति के तहत और उसके अनुसार भारत में सामान बेचने की अनुमति वाणिज्य मंत्रालय में विकास आयुक्त द्वारा दी जानी है। अनुमोदन बोर्ड और विकास आयुक्त दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए गठित दो अलग-अलग प्राधिकरण हैं। डिबॉन्ड की अनुमति एक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किया जाने वाला एक वैधानिक कार्य है। दूसरी ओर भारत में बेचने की अनुमति एक अलग वैधानिक प्राधिकारी द्वारा दी जानी है। यदि प्रासंगिक आयात-निर्यात नीति के पैरा 102 का संदर्भ दिया जाता है, तो भारत में माल बेचने के लिए 100% ईओयू द्वारा 25% की सीमा तक विकास आयुक्त का भुगतान आवश्यक है। पॉलिसी का पैरा 117 100% ईओयू की डी बॉन्डिंग से संबंधित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डिबॉन्डिंग और भारत में बेचने की अनुमति दो अलग-अलग चीजें हैं जिनका एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समय-समय पर संशोधित ईओयू योजना को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 3 में संबंधित

संशोधन अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान में अभिव्यक्ति "भारत में बेचने की अनुमति" केवल डीटीए में 100% ईओयू द्वारा और विकास आयुक्त की अनुमति से उत्पादन के 25% तक की गई बिक्री पर लागू होती है। डीबॉन्ड के लिए मंजूरी मिलने के समय उसके पास मौजूद 100% ईओयू द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।"

24. इतना कहने के बाद न्यायालय ने राजस्व के रुख पर गौर किया कि डिबॉन्डिंग द्वारा भारत में तैयार माल के घाटे वाले स्टॉक को बेचने के लिए बीओए द्वारा अनुमति दी गई थी। उक्त तर्क को नकारते हुए न्यायालय ने कहा:-

"अपने आवेदन दिनांक 8-9-1993 द्वारा अपीलकर्ता ने केवल केंद्र सरकार से यूनिट को डीबॉन्ड करने की अनुमति मांगी थी। औपचारिक डिबॉन्डिंग मंजूरी लंबित होने तक, अपीलकर्ता ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह उसे भारत में सामान बेचने की अनुमति दे सकती है। अपीलकर्ता के इस अनुरोध को संबंधित प्राधिकारी द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया और डिबॉन्डिंग पत्र जारी किया गया। इसलिए, अपीलकर्ता के इस आवेदन को भारत में बेचने की अनुमति के लिए एक आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया गया है और बीओए के डिबॉन्डिंग पत्र को भारत में बेचने की अनुमति के रूप में नहीं माना जा सकता है। राजस्व का यह तर्क कि डिबॉन्डिंग में डिबॉन्डिंग की तारीख पर माल के सभी अंतिम स्टॉक को भारत में बेचने की अनुमति दी गई है, इस मामले को थोड़ा अधिक खींच देगा। ईओयू द्वारा 25% तैयार उत्पादों की बिक्री और डिबॉन्डिंग

की तिथि पर डी-बॉन्ड 100% ईओयू द्वारा तैयार स्टॉक की बिक्री की शर्तें अलग-अलग हैं।"

25. आखिरकार, न्यायालय ने प्रासंगिक नियमों के तहत जारी प्रावधान और अधिसूचना की व्याख्या इस प्रकार की: -

"केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय वी-ए में मुक्त व्यापार क्षेत्र से या घरेलू उपभोग के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के 100% ईओयू को हटाने का प्रावधान है। यह अध्याय अधिसूचना संख्या 130/84-सीई दिनांक 26-5-1984 द्वारा ईओयू योजना के तहत इकाइयों पर लागू किया गया था। इस अध्याय में नियम 100-ए से 100-एच तक शामिल हैं। नियम 100-ए में प्रावधान है कि इस अध्याय के प्रावधान 100% निर्यात-उन्मुख उपक्रम में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करने के लिए किसी भी समय लागू कानून के तहत अनुमति प्राप्त व्यक्ति पर लागू होंगे और जिसे उचित अधिकारी द्वारा उस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के भुगतान पर भारत में बेचे जाने के लिए ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य सामान को हटाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि यह अध्याय V-A वहां लागू नहीं होगा जहां यूनिट डी-बॉन्ड होने के बाद ईओयू ईओयू योजना से बाहर है। नियम 100-H के तहत, नियम 57-A और उसमें उल्लिखित अन्य नियम 100% निर्यात-उन्मुख उपक्रम द्वारा उत्पादित या निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। नियम 57-ए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत किसी भी उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के क्रेडिट की अनुमति देने से संबंधित है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, उपयोग किए गए सामानों पर

भुगतान किया गया है, या अंतिम उत्पादों के निर्माण के संबंध में और अंतिम उत्पादों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए दिए गए ऋण का उपयोग करने के लिए।"

26. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का विचार था कि न्यायाधिकरण सही नहीं था कि यह शुल्क अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाना था और तदनुसार, इसने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के फैसले को बहाल कर दिया।

27. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को हिमालय इंटरनेशनल लिमिटेड (सुप्रा) में न्यायाधिकरण की बड़ी पीठ द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। बड़ी बेंच ने सर्व्कलर नंबर 618/9/2002-सीएक्स दिनांक 13.02.2002 का हवाला दिया और इस प्रकार फैसला सुनाया: -

"उपरोक्त परिपत्र को पढ़ने से पता चलता है कि यह एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जारी किया गया था, लेकिन इस स्थिति को समझे बिना कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर विचार नहीं किया जहां डीआई ए को दी गई अनुमति से 100% अधिक ईओयू द्वारा मंजूरी दी गई थी। निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया है कि ऊपर उल्लिखित परिपत्र में दी गई व्याख्या राजस्व पर बाध्यकारी है और इसलिए, यह न्यायाधिकरण राजस्व के कहने पर धारा 3(1) और प्रावधान की एक अलग व्याख्या नहीं दे सकता है। उपरोक्त तर्क के समर्थन में सीसीई, वडोदरा बनाम धीरेन केमिकल्स इंडस्ट्रीज, 2002 (139) ईएलटी 3 (एस.सी.) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था। हम निर्धारिती के उपरोक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। सीसीई, वडोदरा बनाम धीरेन केमिकल्स इंडस्ट्रीज मामले में

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना में अभिव्यक्ति पर उसके द्वारा दी गई व्याख्या की परवाह किए बिना 'जिस पर उत्पाद शुल्क का उचित शुल्क पहले ही चुकाया जा चुका है। यदि ऐसे परिपत्र हैं जो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा उक्त वाक्यांश पर एक अलग व्याख्या देते हुए जारी किए गए हैं तो वह व्याख्या राजस्व पर बाध्यकारी होगी। वर्तमान मामले में, हम केंद्रीय राजस्व बोर्ड के किसी भी परिपत्र से निपट नहीं रहे हैं जो धारा 3(1) के प्रावधान के अर्थ की व्याख्या करता है और जो लागू था। दूसरी ओर, 13.2.2002 का सर्वुलर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या करते हुए जारी किया गया है। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इस प्रकार दी गई व्याख्या बाध्यकारी नहीं होगी।"

28. पूरे विवाद को संपूर्णता में समझने के लिए, हम दिनांक 13.2.2002 के उक्त परिपत्र को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:-

"विषय: 100% ईओयू द्वारा डीटीए को माल हटाना- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(आई) के तहत शुल्क न लगाना।

मुझे एसआईवी इंडस्ट्रीज बनाम सीसीई [2000 (117) ई.एल.टी.281 (एस.सी.)] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत शीर्ष अदालत ने माना था कि "ईओयू द्वारा स्वीकृत माल पर लगने वाले शुल्क के संबंध में धारा 3(1) का प्रावधान केवल उत्पादन के 25% तक डीटीए में की गई बिक्री पर लागू होगा, जिसे एक्जिम नीति के प्रावधानों के अनुसार भारत में बेचने की अनुमति है"। दूसरे शब्दों में, माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया कि यदि सामान को भारत में बेचने की "अनुमति नहीं" है, तो

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(आई) का प्रावधान लागू नहीं होगा। वित्त अधिनियम, 2001 (14/2001) की धारा 120 के तहत 11-5-2001 से अभिव्यक्ति 'बेची जाने की अनुमति' को 'किसी अन्य स्थान पर लाया गया' से बदल दिया गया है।

2. बोर्ड के संज्ञान में यह आया है कि क्षेत्रीय संस्थाएं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की इस आशय से व्याख्या कर रही हैं कि यदि ईओयू द्वारा स्वीकृत माल को भारत में बेचने की अनुमति नहीं है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) लागू नहीं है और केवल सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत शुल्क की मांग की जा सकती है। बोर्ड ने इस गलत व्याख्या को गंभीरता से लिया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधान भारत में निर्मित या उत्पादित सभी वस्तुओं पर लागू होंगे, जिसके लिए धारा 3 चार्जिंग अनुभाग है। ईओयू भी भारत में स्थित हैं और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत प्रभार्यता कभी भी संदेह में नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 11-05-2001 से पहले, ईओयू से मंजूरी अगर भारत में बेचने की अनुमति नहीं है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की मुख्य धारा 3 (1) के तहत शुल्क लगाया जाना जारी रहेगा। राजस्व की सुरक्षा के लिए तुरंत उचित कार्रवाई की जा सकती है और सभी लंबित निर्णयों को तदनुसार निपटाया जा सकता है।"

29. जैसा कि स्पष्ट है, उक्त परिपत्र एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के अनुरूप है। उक्त परिपत्र में यह संकेत देते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 120 के तहत 11.05.2001 से "बेची जाने की अनुमति" अभिव्यक्ति को "किसी अन्य स्थान पर लाया

गया" से बदल दिया गया है। सर्व्क्लर एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले के अनुरूप है और यह सही भी है, ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच की ओर से यह कहना बिल्कुल अनावश्यक था कि एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) के इस न्यायालय ने उस मामले की सुनवाई नहीं की, जहां ओटीए को दी गई अनुमति से 100% अधिक की मंजूरी दी गई थी। हमारी सुविचारित राय में सर्व्क्लर को अलग करने का प्रयास न केवल अनावश्यक था बल्कि बिल्कुल गलत भी था।

30. बड़ी पीठ के फैसले के बाद, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली ने 5.01.2004 को एक परिपत्र निकाला। उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"विषय: बोर्ड के परिपत्र संख्या 618/9/2002-सीएक्स, दिनांक 13-2-2002 को वापस लेना - ओटीए को 00% ईओयू द्वारा माल हटाना - ओटीए को 100% ईओयू द्वारा माल हटाने पर शुल्क लगाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

मुझे उपरोक्त विषय पर बोर्ड के परिपत्र संख्या 618/9/2002-सीएक्स, दिनांक 13-02-2002 [2002 (140) ई.एल.टी.टी27] की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 11-5-2001, यदि ईओयू से मंजूरी को भारत में बेचने की अनुमति नहीं है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की मुख्य धारा 3 (1) के तहत शुल्क लगाया जाना जारी रहेगा। यह एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की व्याख्या पर आधारित था। [2000 (117) ई.एल.टी. 281(एस.सी.)].

2. हालाँकि, अब मेसर्स हिमालय इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ [2003 (154) ई.एल.टी. मामले में

CESTAT की बड़ी बेंच के फैसले पर ध्यान आकर्षित किया गया है। 580 (त्रि. - एलबी)], जिसमें यह माना गया है कि "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) के प्रावधान के अनुसार शुल्क की दर सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के आकलन के लिए लागू होगी।", जो 100% ईओयू द्वारा डीटीए को मंजूरी दे दी गई थी, चाहे दी गई अनुमति के संदर्भ में या दी गई अनुमति से अधिक के मामले में।" सीईएसटीएटी के उक्त निर्णय के मद्देनजर, अब यह स्पष्ट है कि ईओयू द्वारा निर्मित और ईओयू की अंतिम डिबॉन्डिंग से पहले डीटीए में मंजूरी प्राप्त सभी सामान केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 (1) के प्रावधान के तहत शुल्क के दायरे में आएंगे और किसी भी हालत में, 100% ईओयू में उत्पादित माल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की मुख्य धारा 3(1) के तहत शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

3. CESTAT के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, बोर्ड द्वारा मामले पर फिर से विचार किया गया है और बोर्ड के परिपत्र संख्या 618/9/2002-CX., दिनांक 13-2-2002 को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। CESTAT का उपर्युक्त निर्णय, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है, कृपया इसी तरह के लंबित मामलों पर निर्णय लेते समय विचार किया जाए।"

31. सर्कुलर को नोट करने के बाद, हम एनसीसी ब्लू वॉटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) में प्राधिकारी को संदर्भित कर सकते हैं। उक्त मामले में, ट्रिब्यूनल ने माना है कि निर्धारिती-प्रतिवादी द्वारा उत्पादित और हटाए गए झींगा और झींगा बीज पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक 100% निर्यातान्मुख इकाई (ईओयू), घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में

विकास आयुक्त की मंजूरी के बिना, अधिनियम की धारा 3(1) के तहत देय होगा, न कि उससे जुड़े प्रावधान के तहत। दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 1994-1995 से 1997-1998 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने 11,15,29,540 संख्या में झींगा बीज का उत्पादन और बिक्री की और विकास आयुक्त की अनुमति के बिना डीटीए में 48,365 किलोग्राम झींगा; केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में "नियम") के नियम 100-ई के तहत अनिवार्य उचित चालान जारी किए बिना और उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना। इसके अलावा, निर्धारिती ने कुछ कार्य-कार्य भी किए, जिसके तहत उसने 864.238 मीट्रिक टन झींगा और 905.580 मीट्रिक टन मछली का प्रसंस्करण किया और उक्त माल को ओटीए में मंजूरी दे दी। निर्धारिती के अनुसार, ये सामान अंततः ओटीए इकाइयों द्वारा निर्यात किए गए थे। निर्धारिती की उक्त कार्रवाई ने प्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया, जिसमें निर्धारिती को कारण बताने की आवश्यकता थी कि अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (1) के प्रावधान के साथ पठित नियम 9(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 3 के तहत सीमा शुल्क के कुल शुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और उस पर ब्याज और जुर्माना। इस मामले पर निर्धारिती ने आपत्ति जताई और अंततः न्यायाधिकरण ने करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया। इस न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि चूंकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की धारा 1 के नोट 1 के अनुसार, उस धारा में कोई भी संदर्भ "किसी विशेष जीनस या जानवर की प्रजाति के लिए है, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता हो, उस जीनस या प्रजाति के बच्चों का संदर्भ शामिल है" और, इसलिए, जीवित झींगा और झींगा बीज दोनों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 3 के उप-शीर्ष 0306.23 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह भी आग्रह किया गया था कि ट्रिब्यूनल ने एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में इस सीओआई 1 के फैसले पर भरोसा करने में गलती की क्योंकि उस मामले

के विपरीत, निर्धारिती ने विकास आयुक्त की अनुमति मांगी थी, जिन्होंने बदले में उन्हें झींगा और झींगा के बीजों को साफ करने की अनुमति के लिए एसआईए से संपर्क करने की सलाह दी थी, जो वास्तव में दी गई थी और इसलिए, उन्हें अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था। यह भी आग्रह किया गया कि एक्विजिशन नीति के तहत, एक ईओयू पूरे उत्पादन का निर्यात स्वयं करने के लिए बाध्य है, न कि किसी अन्य इकाई के माध्यम से। न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न उठाया:-

"इसलिए, हमारे विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विकास आयुक्त की अपेक्षित अनुमति के बिना डीटीए में निर्धारिती द्वारा झींगा और झींगा के बीज की बिक्री को अधिनियम की धारा 3 (आई) के तहत उत्पाद शुल्क के रूप में आंका जाना चाहिए या उक्त धारा के परंतुक के अंतर्गत?"

32. उक्त प्रश्न से निपटने के लिए, न्यायालय ने धारा 3 का उल्लेख किया और निम्नलिखित शब्दों में प्रावधान की समझ व्यक्त की: -

"यह स्पष्ट है कि भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं अधिनियम की धारा 3, चार्जिंग अनुभाग के तहत टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित दरों पर उत्पाद शुल्क के दायरे में आती हैं। हालाँकि, उक्त धारा के प्रावधान में यह प्रावधान है कि किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, जो 100% ईओयू द्वारा उत्पादित या निर्मित किया जाता है और भारत में बेचने की अनुमति है, सीमा शुल्क के कुल के बराबर राशि होगी। जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत लगाया जाएगा। जैसा कि पूर्वोक्त है, विवाद यह है कि क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश के

अभाव में, निर्धारिती को भारत में झींगा बीज और झींगा बेचने की अनुमति दी जाएगी, ऐसी बिक्री पर उत्पाद शुल्क प्रावधान के अनुसार लगाया और एकत्र किया जा सकता है। इसे अलग ढंग से कहें तो, यह मुद्दा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (I) के प्रावधान के खंड (ii) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "भारत में बेचने की अनुमति" के महत्व से संबंधित है।"

33. इतना कहने के बाद दो जजों की बेंच ने एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले का हवाला दिया और कहा कि:-

"इसी तरह का एक मुद्दा एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के विचार के लिए आया था। उस मामले में, निर्धारिती 100% ईओयू था। बाद में, उन्होंने 100% ईओयू योजना से हटने की अनुमति मांगी, जिसके लिए मंत्रालय ने आवश्यक अनुमति प्रदान की। हालाँकि, डिबॉन्डिंग से पहले यूनिट में पड़े कुछ सामान को हटा दिया गया था। ऐसी बिक्री पर देय शुल्क की दर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। निर्धारिती द्वारा दी गई दलील यह थी कि वे स्टॉक में पड़े उक्त तैयार माल के निर्माण में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क के साथ-साथ अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जबकि राजस्व का रुख यह था कि अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क तैयार माल पर देय था और तैयार माल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार, उस मामले में विवाद की जड़ उक्त परंतुक में प्रदर्शित अभिव्यक्ति "भारत में बेचने की अनुमति" की व्याख्या के संबंध में भी थी। उक्त अभिव्यक्ति

की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भारत में बेचने की अनुमति" केवल डीटीए में 100% ईओयू उत्पादन के 25% तक की गई बिक्री पर लागू होती है, जिन्हें एक्जिम नीति के प्रावधानों के अनुसार भारत में बेचने की अनुमति है। जिस समय डीबॉन्ड की मंजूरी दी गई थी, उस समय उसके पास मौजूद 100% ईओयू द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि इकाई को बांड मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बिना माल बेचा गया था, इसलिए निर्धारिती द्वारा बेचे गए माल पर शुल्क अधिनियम की मुख्य धारा 3(1) के तहत लगाया जा सकता है।" (जोर दिया गया)

34. यहां यह बताना आवश्यक है कि ऐसा कहने के बाद न्यायालय ने यह भी नोट किया कि एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय की घोषणा के बाद स्थिति स्पष्ट करते हुए 13.02.2002 को परिपत्र जारी किया गया था। उक्त परिपत्र की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा:-

"19. जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, प्रक्रियाओं की पुस्तिका के परिशिष्ट XXXIII के साथ पढ़ी गई एक्जिम नीति 1992-1997 के अनुसार, एक ईओयू अपने उत्पादन का 50% मूल्य के संदर्भ में केवल विकास आयुक्त द्वारा निष्कासन प्राधिकरण जारी करने पर डीटीए में बेच सकता है।

20. वर्तमान मामले में, माना जाता है कि डीटीए में निर्धारिती द्वारा झींगा और झींगा बीज की बिक्री के समय, विकास आयुक्त ने अपेक्षित निष्कासन प्राधिकरण जारी नहीं किया था। इसलिए, एसआईवी इंडस्ट्रीज

लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के आदेश के मददेनजर, जिसके साथ हम सम्मानजनक समझौते में हैं, और उक्त निर्णय के बाद बोर्ड द्वारा जारी पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसार, ऐसी बिक्री पर उत्पाद शुल्क अधिनियम की मुख्य धारा 3(1) के तहत लगाया जाता है।" (जोर दिया गया)

35. आक्षेपित आदेश, जैसा कि स्पष्ट है, बड़ी पीठ के फैसले पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) में फैसले के बाद उक्त निर्णय को न्यायाधिकरण के ध्यान में लाया गया था, लेकिन यह माना गया है कि एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में मूल फैसले को बड़ी पीठ द्वारा अलग किया गया था और आगे के फैसले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2004 के परिपत्र पर ध्यान नहीं दिया गया। एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) में प्राधिकरण की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हमारी सुविचारित राय है कि यह एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण से सहमत है। हिमालय इंटरनेशनल लिमिटेड (सुप्रा) में बड़ी बेंच के फैसले के बाद दिनांक 05.01.2004 का परिपत्र अस्तित्व में आया। हम पहले ही कह चुके हैं कि एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय को अलग करने का कोई औचित्य नहीं था। एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले को ट्रिब्यूनल के ध्यान में लाए जाने के बाद फैसला लिखने वाले तकनीकी सदस्य ने बिल्कुल अनुचित तरीके से नोट किया है कि दिनांक 05.01.2004 के परिपत्र को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड मामले में न्यायालय ने 13.02.2002 के परिपत्र के आधार पर अपना निष्कर्ष नहीं निकाला था। यह दिन की तरह स्पष्ट है कि यह एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात से सहमत है। यह स्पष्ट रूप से राय दी गई है कि अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भारत में बेचने की अनुमति" केवल

100% ईओयू द्वारा उत्पादन के डीटीए में की गई बिक्री पर लागू होगी, जिन्हें एक्जिम नीति के प्रावधानों के अनुसार भारत में बेचने की अनुमति है।

36. उक्त प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2002 में जारी परिपत्र एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में प्राधिकरण के अनुरूप है। इस प्रकार, एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) द्वारा व्यक्त किए गए विचार ने परिपत्र पर अनुमोदन की मुहर लगा दी है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर एक बाध्यकारी मिसाल है। ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच, जैसा कि पहले कहा गया है, एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में फैसले को अलग नहीं कर सकती थी। बाद में 05.01.2004 को जारी परिपत्र, जिस पर राजस्व द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्भरता रखी गई थी, जिसे विवादित फैसले में नोट किया गया है, स्पष्ट रूप से एक गलत दृष्टिकोण का संकेत है। एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय का पालन करना अनिवार्य था और ट्रिब्यूनल यह नहीं कह सकता था कि 2004 के परिपत्र पर ध्यान नहीं दिया गया था। ट्रिब्यूनल को उचित रूप से इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि यह न्यायालय वैधानिक प्रावधान की व्याख्या कर रहा था और यह भी ध्यान देने योग्य है कि SIV Industries Ltd. (सुप्रा) में दिए गए फैसले के बाद प्रावधान में एक संशोधन लाया गया था। इसलिए, संशोधन की तारीख से पहले का लेनदेन एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसका एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) में पालन किया गया है। स्पष्ट किया जाए कि इस मामले में संशोधित प्रावधान से हमारा कोई सरोकार नहीं है।

37. उपरोक्त विश्लेषण के मददेनजर, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। ट्रिब्यूनल और निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार निर्धारित उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सक्षम प्राधिकारी को तदनुसार शुल्क की गणना करने और उसके

बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति।

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।